भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

बीसीजीवीएल, चेन्नई में लेवल-8 में आपूर्ति अधिकारी, समूह 'ख' राजपत्रित के पद हेतु प्रारूप भर्ती नियमों पर सार्वजनिक सूचना।

डीओपीटी कार्यालय ज्ञापन सं. AB-14017/61/2008-Estt.(RR) दिनांक 13.10.2015 की अनुपालना में हितधारकों की टिप्पणी आमंत्रित करने हेतु प्रारूप भर्ती नियमों पर संशोधन संलग्न है।

उक्त प्रारूप भर्ती नियमों पर आपत्ति/सुझाव इनके प्रकाशन की तारीख़ से 30 दिनों की अवधि के अंदर लिखित में उप-निदेशक प्रशासन (ईपीआई), कमरा सं. 647-ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली- 110018 को किया जा सकता है तथा सॉफ्ट कॉपी epidghs@gmail.com पर भेजी जाए।

(स्वरूपा सरन)
उप-निदेशक

[भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख: 2019

सा.का.नि.- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, चेन्नई में आपूर्ति अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बीसीजी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, चेन्नई, आपूर्ति अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2019 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर**- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि**- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट है ।

4. **निरर्हता.**- वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श से, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय -समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

<u>अनुसूची</u>

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आपूर्ति अधिकारी	1* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100 रु.)	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों/सांविधिक निकायों/ पबलिक सेक्टर उपक्रमों, विश्वविद्यालयों, मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी:- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में लेवल -7 (रू. 44900-142400) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद दो वर्ष की सेवा की हो, या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में लेवल -6 (रू. 35400-112400) या समतुल्य; में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद छ: वर्ष की सेवा की हो, तथा (ख) जो निम्नलिखित अर्हताएँ और अनुभव रखता हो: (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से माइक्रोबायोलोजी या बायो-केमेशट्री या बायो-टेक्नोलोजी में मास्टर डिग्री या बी. फार्मा या बीटेक (प्रोधोगिकी स्नातक) (ii) मान्यता प्राप्त संस्थान से बायोलोजिकलस/ फार्मासुटिकल्स की आपूर्ति प्रक्रिया को संभालने में तीन वर्ष का अनुभव। **टिप्पण** 1 : प्रतिनियुक्ति जिसमें की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन /विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, वर्ष से अधिक नहीं3 होगी। **टिप्पण** 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं	**संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है**

(सं.ए.12018/07/2017-ईपीआई)

(वरिंदर कौर भल्ला)
अवर सचिव, भारत सरकार